कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश

17, न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ

दूरभाषः 0522–2204295, 2205310, फैक्सः 0522–2204163

टोल फ्री नम्बर 1800–121–3203

Website: https://www.upcane.gov.in / E-mail: upcdrs@gmail.com

Facebook: https:/www.facebook.com/upcane

Twitter: https://www.twitter.com/canewebsite

Youtube: https://www.youtube.com/channel/ucewkr8bagsaawmex09fjong

प्रेस–नोट

- **गन्ना विकास विभाग 109 सहकारी गन्ना विकास समितियों तथा 24 सहकारी चीनी मिल समितियों में आयुष विभाग के साथ समन्वित प्रयासों से खोलेगा आयुष चिकित्सालय।**
- **गन्ना कृषकों, उनके परिवारों, समिति अधिकारियों/कर्मचारियों और क्षेत्रीय जनसामान्य को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सुविधा उनके निवास के निकट ही निःशुल्क रूप से होगी उपलब्ध।**
- **सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं सहकारी चीनी मिल समितियों के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सामाजिक स्वास्थ्य के लिये सार्थक पहल।**

लखनऊ : 04 जून, 2018

राज्य सरकार द्वारा आयुष विभाग के चिकित्सकों, नर्स एवं आवश्यक दवाओं के साथ निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराये जाने की योजना का संचालन किया जा रहा है। गन्ना विकास विभाग ने इस जनोपयोगी योजना को क्षेत्र के गन्ना किसानों और सम्बद्ध नागरिकों के स्वास्थ्य से जोड़ने की अभिनव पहल की है। प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि गन्ना विकास विभाग 109 सहकारी गन्ना विकास समितियों तथा 24 सहकारी चीनी मिल समितियों में आयुष विभाग के साथ समन्वित प्रयासों से शीघ्र ही आयुष चिकित्सालय की शुरूआत करने जा रहा है।

इस कल्याणकारी कार्य हेतु आयुष विभाग से चिकित्सकों एवं नर्स की तैनाती होने के पश्चात उनके द्वारा अपना कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, जिसके लिए सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं सहकारी चीनी मिल समितियों के कार्यालय परिसर में आयुष विभाग के चिकित्सक एवं स्टॉफ हेतु गन्ना विभाग अपनी समिति से एक उपयुक्त कक्ष आवंटित करायेगा और आवश्यक सुविधाओं के साथ एक स्वच्छ

Scanned by CamScanner

बाथरूम, पंखा व कूलर, कुर्सी–मेज, पेयजल, कम्प्यूटर व प्रिंटर की व्यवस्था भी करेगा।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये समर्पित इस अभिनव कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन से क्षेत्रीय गन्ना कृषकों, उनके परिवारों, समिति अधिकारियों/कर्मचारियों तथा निकटवर्ती, सभी जनसामान्य को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सुविधा उनके निवास के निकट ही निःशुल्क रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। इस कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन हेतु गन्ना विकास विभाग ने प्रदेश स्थित सक्षम 133 सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियों की सूची शासन को प्रेषित करते हुए आयुष विभाग से चिकित्सालय खोलने हेतु अनुरोध किया है।

Scanned by CamScanner